कृष्ण लाल

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 1972-1973)

3 दिसंबर, 2012

[पी. सतशिवम और रंजन गोगोई, जे. जे.]

राजस्थान के कैदियों को पैरोल नियम, 1958 पर रिहा किया जानाः

आरआर 2 (घ), 9 और 10 क (i)-आजीवन कारावास की सजा पाए आजीवन कैदी, अपीलकर्ता द्वारा 'पैरोल' पर रिहाई के लिए आवेदन-आयोजितःन्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता आर के संदर्भ में सामान्य पैरोल का हकदार नहीं है। 9 - हालाँकि, मानवीय विचार से जुडे आपात मामलों में, संबंधित प्राधिकरण नियम 10 ए (आई) के संदर्भ में और निर्णय में निर्देशित-दंड प्रक्रिया संहिता 1973-के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।s.401-दंड संहिता, 1860-ss.302, 307, 148, 450 आरएलडब्ल्यू। धारा 149 और 120 -

अपीलकर्ता को दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और 9 अन्य लोगों के साथ मौत की सजा सुनाई गई। 302, 307, 148, 450 एसएस के साथ पढ़ें। 149 और 120-बी, भा.दं.सं. सी. उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों की उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों का निर्णय करते हुए और साथ ही शिकायतकर्ता प्रतिवादी नं. 2 और दोषियों की मृत्युदंड की सजा को बहाल करने के लिए राज्य ने अपने दिनांक 29.03.2001 के निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई

दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता को दिया गया आजीवन कारावास उसके शेष जीवन के लिए कारावास होगा और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401, कैदी अधिनियम, जेल नियमावली या किसी अन्य क़ानून और परिवर्तन और छूट देने के उद्देश्यों के लिए बनाए गए नियमों के तहत किसी भी परिवर्तन या समयपूर्व रिहाई का हकदार नहीं होगा।

अपीलकर्ता की याचिका पर, उच्च न्यायालय ने सलाहकार समिति को उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया और सलाहकार समिति ने उसे 40 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया।जब शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को अवगत कराया, तो उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता और राज्य सरकार को कारणदर्शक नोटिस जारी किया और दिनांक 2 के अंतिम आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1.यह सच है कि इस न्यायालय ने सुभाष चंदर * मामले में, पैरोल के लिए अपीलार्थी के अधिकार पर विचार नहीं किया है।हालाँकि, उक्त मामले में आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ता की ओर से यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि न्यायालय अपीलकर्ता को जीवन भर उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है और यदि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो वह कभी भी अपनी पूर्व-परिपक्व रिहाई या किसी भी आधार पर अपनी सजा को कम करने का दावा नहीं करेगा।यह भी ध्यान दें योग्य है कि सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के लिए यह अनुरोध किया गया था कि यदि अपीलकर्ता को मौत की सजा नहीं दी गई थी, तो उसके मृतक के परिवार के शेष सदस्यों को समाप्त करने की संभावना थी, जैसा कि

उसके पिछले आचरण और व्यवहार से स्पष्ट था, और इस न्यायालय ने इस तरह की आशंका को स्वीकार किया और जहां तक अपीलकर्ता का संबंध था, आदेश पारित किया। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी और वह संविधि के तहत या संविधि और छूट देने के उद्देश्य से बनाए गए किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी संविधि या समयपूर्व रिहाई का हकदार नहीं है।[पैरा 6-7] [225-G-H; 226-A-D-G-H]

1.2.सुभाष चंदर में इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह दोहराया जाता है कि अपीलकर्ता आर के संदर्भ में सामान्य पैरोल का हकदार नहीं है।9 राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम, 1958।हालांकि, मानवीय विचार से जुड़े आकस्मिक मामलों में, संबंधित प्राधिकरण आर के संदर्भ में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।10 उक्त नियमों का ए (आई)।इस तरह के आवेदन पर विचार करते समय भी, संबंधित प्राधिकरण को उक्त नियम में उल्लिखित शर्तों का पालन करने, उचित कठोर शर्तों को लागू करने और यह देखने का निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की अस्थायी रिहाई से शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कुछ नहीं होता है और उन्हें आवश्यक सुरक्षा देते हुए उचित आदेश भी पारित किए जाते हैं।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि संबंधित प्राधिकरण अस्थायी पैरोल के कारणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस तरह के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।[पैरा 12] [229-डी-एफ]

मामला कानून संदर्भः2001 (2) पैरा 2 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 864

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः2012 की दाण्डिक अपीलीय सं 1972-1973।

2010 के डी. बी. सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2982 में जोधपुर में राजस्थान उच्च

न्यायालय के निर्णय और आदेश से, 2010 के डब्ल्यू. पी. सं. 10309 में 2010 के डब्ल्यू. पी. सं. 10309 में 2010 के डब्ल्यू. पी. सं. 10309 से।

उपस्थित दलों के लिए के. वी. विश्वनाथन, अरुण कुमार बेरीवाल, शिव कुमार द्विवेदी, अदीबा मुजाहिद, मेहूल एम. गुप्ता, ऋषभ संचेती, टी. महिपाल, अमित भंडारी और मिलिंद कुमार।

न्यायालय का निर्णय पी. सतशिवम, जे. द्वारा सुनाया गया

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. ये अपीलें जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा 2010 की रिट याचिका (पैरोल) संख्या में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें अपीलकर्ता और राज्य सरकार को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था और यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि दोषी-कृष्ण लाल (इसमें अपीलकर्ता) को पैरोल पर या अन्यथा रिहा नहीं किया जाएगा जैसा कि सुभाष चंदर अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। कृष्ण लाल और अन्य। रिपोर्ट (2001) 4 धारा 458 में और अंतिम आदेश दिनांक 06.04 के खिलाफ भी।2 यू11 जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।

3. संक्षिप्त तथ्यः

(i) इसमें अपीलकर्ता 11 अभियुक्त व्यक्तियों के साथ हत्या के एक मामले में अभियुक्त था।निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) की खंड 149 और 1208 के साथ पठित खंड 302,307,148,450 के तहत अपराधों के लिए एक को छोड़कर सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।

(ii) दोषसिद्धि और मृत्युदंड के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अन्य

अभियुक्त व्यक्तियों के साथ उच्च न्यायालय में अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता सहित सभी दोषी व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

(iii) उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने इस न्यायालय के समक्ष 1999 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 812-814 और 1999 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 815-816 वाली अपीलों के दो सेट दायर किए, जिसमें दोषमुक्ति करने के आदेश को रद्द करने और दोषी व्यक्तियों को मौत की सजा देने का अनुरोध किया गया, जैसा कि निचली अदालत ने किया था।अभियुक्त व्यक्तियों ने इस न्यायालय के समक्ष 1999 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 817-818 और 1999 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 819-820 वाली अपीलों के दो सेट भी दायर किए, जिसमें निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करके उन्हें दोषमुक्ति का अनुरोध किया गया था।राज्य ने एक अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करने और दोषी व्यक्तियों को मौत की सजा देने के लिए भी इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।यह न्यायालय उपरोक्त अपीलों में, निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि इसमें अपीलकर्ता को दिया गया आजीवन कारावास उसके शेष जीवन के लिए कारावास होगा और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता"), कैदी अधिनियम, जेल नियमावली या किसी अन्य क़ानून और परिवर्तन और छूट देने के उद्देश्यों के लिए बनाए गए नियमों की खंड 401 के तहत किसी भी परिवर्तन या समयपूर्व रिहाई का हकदार नहीं होगा।

(iv) सुभाष चंदर (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के आदेश से पहले,

06.03.1999 और 12.05.2000 पर, इसमें अपीलकर्ता को पैरोल सलाहकार समिति द्वारा क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों की नियमित पैरोल की अनुमति दी गई थी और तदनुसार उन्होंने इसका लाभ उठाया।2001-2010 की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता ने विभिन्न आवेदन दायर करके 40 दिनों के लिए तीसरे नियमित पैरोल के लिए प्रयास किया, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया।इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 2010 की डी. बी. आपराधिक पैरोल संख्या 2982 के रूप में एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.05.2010 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए पैरोल सलाहकार समिति को निर्देश दिया।दिनांक 12.08.2010 के आदेश के माध्यम से, सलाहकार समिति ने अपीलकर्ता को 40 दिनों के लिए 18.08.2010 पर पैरोल पर रिहा कर दिया।

(v) क्रमशः उच्च न्यायालय और पैरोल सलाहकार समिति द्वारा पारित दिनांक 26.05.2010 और 12.08.2010 के आदेशों से व्यथित होकर, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने सिविल विविध होने के कारण एक आवेदन दायर किया।2010 के डी. बी. आपराधिक डब्ल्यू. पी. संख्या 2982 में 2010 का आवेदन संख्या 93 उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांकित 26.05.2010 के आदेश पर पुनर्विचार करने और पैरोल सलाहकार समिति द्वारा पारित दिनांकित 12.08.2010 के आदेश को रद्द करने के लिए।उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.10.2010 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलकर्ता बी. और राज्य सरकार को कारणदर्शक नोटिस जारी किया और यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता को सुभाष चंदर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के आदेश के अनुसार पैरोल पर या अन्यथा रिहा नहीं किया जाएगा।इसमें अपीलकर्ता के जवाब के बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.04.2011 के अंतिम आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया।·

(vi) दिनांकित 06.10.2010 और 06.04.2011 के आदेशों के विरुद्ध, अपीलकर्ता

ने इन अपीलों को इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से दायर किया है।

4. श्री के. वी. विश्वनाथन, अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित भंडारी, प्रतिवादी सं 1 राज्य के विद्वान अधिवक्ता और श्री ऋषभ संचेती, प्रतिवादी सं. 2 शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

5. इन अपीलों में विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अपीलकर्ता सुभाषचंदर (ऊपर) में 29.03.2001 पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पैरोल पर रिहा होने का हकदार है?

6. अपीलकर्ता के दावे को समझने के लिए, सुभाष चंदर (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लेख आदेशना उपयोगी है।जब शिकायतकर्ता, राज्य के साथ-साथ अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील दायर की गई थी, तो वर्तमान अपीलकर्ता कृष्ण लाल (ए-1) की ओर से यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि न्यायालय अपीलकर्ता को वंचित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता हैःजीवन भर उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें।आदेश से यह भी देखा गया है कि निर्देश पर, श्री यू. आर. ललित, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि कृष्ण लाल (ए-1)-इसमें अपीलकर्ता, यदि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह कभी भी किसी भी आधार पर अपनी समय से पहले रिहाई या अपनी सजा को कम करने का दावा नहीं करेगा।अपीलकर्ता कृष्ण लाल (ए-1) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का उपरोक्त बयान इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था।यह भी ध्यान दें योग्य है कि सुनवाई के दौरान, श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील, जो उस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि यदि अपीलकर्ता कृष्ण लाल (ए-1) जैसे आरोपी को

मौत की सजा नहीं दी जाती है, तो वह भगवान राम के शेष परिवार के सदस्यों को समाप्त कर सकता है, जैसा कि उसके पिछले आचरण और व्यवहार से स्पष्ट होता है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम के जीवित परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए, कम से कम कृष्ण लाल (ए-1)-अपीलार्थी को उसके जीवन से वंचित आदेशना आवश्यक है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने शिकायतकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई आशंका को स्वीकार कर लिया है।उन परिस्थितियों में, जहां तक अपीलकर्ता कृष्ण लाल का संबंध है, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

"23.हालाँकि, मामले की विषम परिस्थितियों में, भविष्य में सुभाष चंदर और उनके परिवार के लिए आसन्न खतरे की आशंका में, कृष्ण लाल (ए1) की ओर से दिए गए बयान को दर्ज करते हुए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि उनके लिए आजीवन कारावास उनके शेष जीवन के लिए कारावास होगा।वह दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 401 के तहत परिवर्तन या समय से पहले रिहाई का हकदार नहीं होगा।कैदी अधिनियम। जेल नियमावली या अन्य अधिनियम और परिवर्तन और छूट प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए बनाए गए नियम।(जोर दिया गया)

7. उपरोक्त निर्देश से, यह स्पष्ट है कि कृष्ण लाल-अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी और वह संहिता या कैदी अधिनियम, जेल नियमावली या किसी अन्य क़ानून और परिवर्तन और छूट देने के उद्देश्यों के लिए बनाए गए नियमों सहित किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी भी परिवर्तन या समयपूर्व रिहाई का हकदार नहीं है।यह सच है कि इस न्यायालय ने उसके अधिकार या पैरोल की पात्रता पर विचार नहीं किया है।

8. श्री के. वी. विश्वनाथन, पैरोल के लिए अपने दावे के समर्थन में अपीलकर्ता

के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पैरोल नियम 1958 पर राजस्थान कैदियों की रिहाई पर भरोसा किया। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 401 की उप-खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 8 प्रयोग में, राजस्थान सरकार ने उपरोक्त नियम पारित किए हैं।खंड 2 (डी) "पैरोल" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"2(घ) "पैरोल" का अर्थ है इन नियमों के तहत जेल से कैदी का सशर्त विस्तार।

नियमों के अनुसार, एक वर्ष से कम के कारावास की सजा पाए कैदी को कैदी पैरोल सलाहकार समिति के समक्ष पैरोल पर रिहाई के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। नियम कैदी पैरोल सलाहकार समिति के गठन और इस तरह के आवेदनों पर विचार न करते हुए पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हैं। उक्त नियमों का नियम 9 पैरोल अवधि के बारे में बताता है। श्री विश्वनाथन ने यह भी बताया है कि उक्त नियमों के आधार पर, अपीलकर्ता को दो अवसरों पर पैरोल दी गई थी, अर्थात, 06.03.1999 और 12.05.2000 पर क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों की अवधि के लिए, और जब अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के 26.05.2010 के आदेश के आधार पर 40 दिनों के लिए तीसरी पैरोल के लिए अनुरोध करते हुए एक और आवेदन किया, तो सलाहकार समिति ने 12.08.2010 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को 18.08.2010 पर 40 दिनों के पेरोल पर रिहा कर दिया। उक्त आदेश को शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा डी बी सिविल विविध आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का आवेदन सं. 93 सुभाष चंदर (ऊपर) में इस न्यायालय के दिनांक 29.03.2021 के पूर्व आदेश पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पैरोल के लिए दायर किए गए तीसरे आवेदन को खारिज कर दिया।

9. राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा परिवर्तन या समय से पहले रिहाई के लिए प्रार्थना करने के अपने अधिकार को छोड़ने और अपने जीवन के अंत तक जेल में रहने के रुख को देखते हुए और शिकायतकर्ता के परिवार की आशंका कि पैरोल पर भी उसकी रिहाई की स्थिति में भगवान राम के शेष परिवार के सदस्यों को समाप्त करने की संभावना है, वर्तमान अपीलें खारिज होने योग्य हैं।

10. हम पहले ही इस न्यायालय के अंतिम आदेश को प्राप्त कर चुके हैं जिसमें उसके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की पुष्टि की गई है और किसी भी अधिनियम या नियमों या परिपत्र के तहत पूर्ववर्ती परिवर्तन या समय से पहले रिहाई की पुष्टि की गई है। यद्यपि श्री विश्वनाथन ने दावा किया है कि अपीलकर्ता को दो अवसरों पर 20 दिनों और 30 दिनों के लिए पैरोल दी गई थी और अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल सूचना नहीं दी गई थी, यह ध्यान दें योग्य है कि अपीलकर्ता को सुभाष चंदर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पहले दो अवसरों पर पैरोल दी गई थी और उस आदेश में इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश को सलाहकार समिति द्वारा अपीलकर्ता को तीसरी पैरोल देने के समय विचार के लिए नहीं रखा गया था।

11. यद्यपि पैरोल नियम, 1958 पर राजस्थान कैदी रिहाई अपीलकर्ता को सलाहकार समिति के समक्ष पैरोल के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है, हमारा विचार है कि किसी भी अधिनियम या नियमों के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने और पूर्वगामी परिवर्त्तन या समयपूर्व रिहाई की विशिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा व्यक्त की गई आशंका पर विचार करते हुए, हम मानते हैं कि अब से अपीलकर्ता उक्त नियमों के नियम 9 के संदर्भ में नियमित पैरोल का हकदार नहीं होगा।तथापि, यदि कोई आकस्मिकता उत्पन्न

होती है, तो सलाहकार समिति द्वारा उक्त नियमों के नियम 10-ए (आई) के संदर्भ में उस पर विचार किया जा सकता है जो निम्नानुसार हैः"10-ए (i) आपात मामलों में नियमों 3,4,5,9 और 1ओ के प्रावधान के बावजूद, जिसमें मानवीय विचार शामिल हैं।, (1) किसी भी निकट संबंधियों की बीमारी के कारण गंभीर स्थिति अर्थात पिता, माता, पत्नी, पति, बच्चे, भाई या अविवाहित बहन; (2) ऐसे किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु; (3) किसी प्राकृतिक आपदा से जीवन या संपत्ति को गंभीर नुकसान; और (4) किसी कैदी, उसके बेटे या बेटी या उसके भाइयों/बहनों की शादी, यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं।

एक कैदी को जेल के अधीक्षक द्वारा 8 दिनों से अधिक की अवधि के लिए और जेल महानिरीक्षक (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर पैरोल पर रिहा किया जा सकता है जो वे जेल में उसकी वापसी, स्वीकृति या निष्पादन की गारंटी सहित कैदी की सुरक्षा के लिए लागू करने के लिए आवश्यक समझते हैं, जो पैरोल पर ऐसे कैदी की रिहाई के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

12 सुभाष चंदर (ऊपर) में इस न्यायालय के दिनांक 29.03.2001 के आदेश में, हम दोहराते हैं कि अपीलकर्ता नियम 9 के संदर्भ में सामान्य पैरोल का हकदार नहीं है, हालांकि, मानवीय विचार से जुड़े आकस्मिक मामलों में, संबंधित प्राधिकरण नियमों के नियम 10 ए (आई) के संदर्भ में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।इस तरह के आवेदन पर विचार करते समय भी, संबंधित प्राधिकरण को उक्त नियम में उल्लिखित शर्तों का पालन करने, उचित शर्तों को लागू करने और यह देखने का निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की अस्थायी रिहाई से शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कुछ नहीं होता है और उन्हें आवश्यक सुरक्षा देते हुए उचित आदेश भी पारित किए जाते हैं।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि संबंधित प्राधिकरण अस्थायी पैरोल के कारणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस तरह के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

13. उपरोक्त निर्देश के साथ, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

आर. पी. अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।